23-3-21 को आवेदिका मेरे समक्ष हुई। उनका पति [illegible]
था। आवेदिका को पत्नी होने का विपक्षीगण
द्वारा कोई उत्तराधिकार नहीं था। [illegible]
कोई वहन नहीं करता था। आवेदिका
पर आश्रित भी नहीं थी। आवेदिका
ने अपने अस्तित्व के लिए
[illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का
[illegible] है।

अतः श्री [illegible] के
[illegible] के [illegible]
[illegible] के [illegible]
[illegible] में [illegible]
[illegible] है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा